न्यायालय– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, सिवान
उपस्थितः– उमेश मणि त्रिपाठी
B.P. No.- 919/2026
अजीत कुमार राम उर्फ अजीत राम बनाम बिहार सरकार
[सिसवन थाना कांड सं0 102/2026]
आदेश

10.08.2026 आवेदक/अभियुक्त **अजीत कुमार राम उर्फ अजीत राम पे0 उमेश राम उर्फ उमा राम** जो इस मामले में दिनांक **04.06.2026** से न्यायिक अभिरक्षा में है, की ओर से दाखिल जमानत आवेदन सं0 805/2026, सिसवन थाना कांड सं0 102/2026, अंतर्गत धारा–103(1)/3(5) भारतीय न्याय संहिता पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री अभय कुमार रंजन एवं विपक्षी विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री रघुवर सिंह को सुना।

संक्षेप में अभियोजन का कथन है कि दिनांक 02.06.2026 को समय करीब 10:30 बजे रात्रि को सूचक का पुरा परिवार खाना खाकर सो गए। सूचक का भाई राकेश राजभर खाट लगाकर घर के आंगन में सो गया। सूचक समय करीब 12 बजे रात्रि में अपनी लड़की को शौच कराने के लिए बाहर लेकर जा रहे थे तो आहट पाकर उसका भाई जग गया। सुबह करीब 4 बजे सूचक की पत्नी शौच के लिए गई और आकर घर बहारने हेतु भाई को जगाने गई तो देखकर जोर–जोर से चिल्लाने लगी। शोर सुनकर सभी लोग जग गए। सूचक गए तो देखे कि भाई खाट पर मुंह के बल लेटा था। चारों तरफ खून लगा था। खाट के नीचे गढ़ा में खून जम गया था। सूचक को विश्वास है कि करीब 10 दिन पूर्व ये लोग जिस जमीन पर रहते हैं उसको अपना बताते हुए अजीत राम, किशोर राम एवं धीरज राम आए थे तो सूचक के पिताजी, भाई एवं सूचक की पत्नी समझा–बुझाकर हटा दिए। लेकिन जाते–जाते धमकी दिए थे कि जमीन खाली कर दो नहीं तो जान से हाथ धोना पड़ जाएगा। सूचक को पूर्ण विश्वास है कि उपर्युक्त लोगों ने ही घटना किया है।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा है कि आवेदक बिल्कुल निर्दोष है और उसे गलत तरीके से दुश्मनी एवं राजनीति के कारण इस मामले में फंसाया गया है। आवेदक की ओर से पूर्व में नियमित जमानत आवेदन संख्या 805/2026 विद्वान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवान के न्यायालय में दाखिल किया गया था जिसे स्थानांतरण के पश्चात् इसी न्यायालय द्वारा दिनांक 13.07.2026 को खारिज कर दिया गया। आवेदक दिनांक 04.06.2026 न्यायिक अभिरक्षा में है। आवेदक का अतीत साफ है और उसके खिलाफ इस मामला के अलावा अन्य कोई मामला पंजीकृत नहीं है। आवेदक बिल्कुल निर्दोष है। आवेदक का नाम प्राथमिकी में सिर्फ संदेह के आधार पर जोड़ा गया है। आवेदक का घटना स्थल वाले गांव में कोई भूमि नहीं है। आवेदक का मृतक, उसके परिवार या सूचक से कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ है। अभियोजन पक्ष के द्वारा आवेदक के विरूद्ध लगाया गया आरोप पूरी तरह से झूठा, आधारहीन एवं मनगगढंत है। सूचक प्रस्तुत मामले में प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है। आवेदक मामले की जांच और सुनवाई में अपना पूर्ण सहयोग देने का वचन देते हैं। अतः आवेदक को जमानत पर मुक्त किए जाने की प्रार्थना की गई।

विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री रघुवर सिंह ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए अपने तर्क में यह कहा है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर

न्यायालय– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, सिवान
उपस्थितः– उमेश मणि त्रिपाठी
B.P. No.- 919/2026
अजीत कुमार राम उर्फ अजीत राम बनाम बिहार सरकार
[सिसवन थाना कांड सं0 102/2026]

10.08.2026

लगातार प्रकृति का है। अतः जमानत आवेदन को खारिज किया जाय।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामले में प्राथमिकी सिसवन थाना कांड सं0 102/2026, अंतर्गत धारा–103(1)/3(5) भारतीय न्याय संहिता में पंजीकृत कराई गई है। आवेदक के विरूद्ध अन्य सह–अभियुक्तों के साथ मिलकर सूचक के भाई की हत्या करने का विशिष्ट आरोप लगाया गया है। कांड दैनिकी के कंडिका संख्या 02 में मृतक के मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट से संबंधित है जिसके अनुसार चिकित्सक ने मृतक के मृत्यु का कारण उसके गर्दन को तेज धारदार हथियार से पीछे से रेतकर, कर देना बताया गया है। कांड दैनिकी के कंडिका संख्या 03 में मृतक के भेसरा रिपोर्ट से संबंधित है जिसे चिकित्सक द्वारा संरक्षित रखा गया है। कांड दैनिकी की कंडिका संख्या 05 में वादी का बयान अंकित है जिसमें उन्होंने प्राथमिकी का पूर्ण रूप से समर्थन किया है। कांड दैनिकी की कंडिका संख्या 09, 10 एवं 11 में साक्षियों का बयान अंकित है जिसमें सभी साक्षियों ने प्राथमिकी का पूर्ण रूप से समर्थन किया है। आवेदक की ओर से पूर्व में भी नियमित जमानत आवेदन सं0 805/2026 दायर किया गया था जिसे दिनांक 13.07.2026 को इसी न्यायालय के द्वारा खारिज किया गया था। कांड का अनुसंधान अभी लंबित है। आवेदक द्वारा कारित अपराध की प्रकृति एवं कारित जख्म की प्रकृति व उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर मुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः आवेदक/अभियुक्त **अजीत कुमार राम उर्फ अजीत राम** की तरफ से प्रस्तुत जमानत आवेदन दिनांक 21.07.2026 को उपरोक्त के आलोक में **खारिज** किया जाता है।

लेखापित
ह0/–
(उमेश मणि त्रिपाठी)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय,
सिवान।
दिनांक 10.08.2026

Date of Order/Judgment	10.08.2026
Date of Reserving Order/Judgment	10.08.2026
Uploading Date	12.08.2026
Uploaded By	RAVI KANT